अपील सूचना अधिकार संख्या 88/2018 (RCMS 2018/00208) श्री बृज मोहन पुत्र श्री सूरत सिंह गांव व डाकघर खुई खेड़ा 152121 तहसील व जिला फाजिल्का बनाम तहसीलदार (राजस्व), पंदमपुर

21.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बृजमोहन स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पदमपुर के समक्ष सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बृजमोहन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.04.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

> Jio मोबाईल टावर चक एक पीपी में निर्माण हेतु जारी हुआ, इसके विरूद्ध 22.02.2018 को एस.डी.एम. साहब, पदमपुर को टावर के विरूद्ध इतराज दर्ज करवाया (नकल नथ्थी है) यह टावर निर्माण सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनबाड़ी केन्द्र से लगभग 100 फुट से घट दूरी पर लग रहा है। तिथि 21.03.2018 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा आपत्ति सूचना जारी की (कॉपी नथी है) तिथि 05.04.2018 को क्रमांक नम्बर M.T./2018/1602 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया (कॉपी नथी है)।
>
> **मांगी गई सूचनायें :–**
>
> 1. आपत्ति सूचना और अनापत्ति प्रमाण पत्र जो आपके नाम है। आपने मौका तपतिष करवाया या नहीं, इसकी कॉपी दी जाऐ।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), पदमपुन ने अपने पत्रांक राजस्व/2018/40 दिनांक 23.01.2019 से अपील का निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री बृजमोहन को चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, पदमपुर को पत्रांक 229–230 दिनांक 30.04.2018 द्वारा अपीलार्थी को सूचना देने हेतु निवेदन किया गया परन्तु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, पदमपुर द्वारा पूर्व में ही पत्रांक 1971 दिनांक 20.04.2018 द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।
>
> श्रीमान्जी वृजमोहन पुत्र सूरता सिंह निवासी खुईखेड़ा को चाही गई सूचना श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।
>
> तहसीलदार (राजस्व)
> पदमपुर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्रांक सू.अ./2018/1971 दिनांक 20.04.2018 से अपील का निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड की छाया प्रति प्रमाणित कर इस पत्र के संलग्न आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति रसीद भिजवाने का श्रम करें।
>
> **उपखण्ड अधिकारी**
> **पदमपुर**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्रांक सू.अ./2018/1971 दिनांक 20.04.2018 से वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है परन्तु उस से यह पता नहीं चलता है कि कौनसी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है। इसलिए यदि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से अप्रसन्न है तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के विरूद्ध प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के अनुसार निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर